SOURCE DEVELOPMENT (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) The news items in question did not come to the notice of the Government earlier because they were published in local newspapers. Such matters are considered by the Board of Governors of the Institute which is fully autonomous However, the criminal case of alleged violation of Bihar Shops and Establishment Act by the Director of the Institute was brought to the notice of the Government. This matter still being subjudice, question of instituting an enquiry by the Government does not arise

---

12 00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR CHAIRMAN Now papers to be laid on the Table

[The Deputy Chairman in the Chair.]

Report and Accounts (1988-89) of the Sports Authority of India, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAJMANGAL PANDE): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of following papers.—

(i) Annual Report and Accounts of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 1988-89, together with the Audit Report of the Accounts

(ii) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above

[Placed in Library. *See* No LT-1619/91 for (i) to (iii)]

I. Report and Accounts (1989-90) of the Neyveli Lignite Corporation Ltd, Neyveli (Tamil Nadu) and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., New Delhi and related papers.

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी): महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू .—

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी मे) :—

(i) 1989–90 के वर्ष के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली (तमिलनाडु) का चौतीसवा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षाको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई । (i) और (ii) के लिए देखिए स. एल.टी 1908/91]

II. निम्नलिखित पत्रो की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिन्दी मे):—

(i) 1989–90 के वर्ष के लिए इंडियन रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेट एजेन्सी लिमिटेड, नई दिल्ली का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओ पर लेखा परीक्षको के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) एजेसी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई । (i) और (ii) के लिए देखिए स. एल. टी. 1907/91]

I. Report and Accounts (1989-90) of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Bombay and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Indian Oil Corporation Ltd., Bombay and related papers.

III. Report and Accounts (1989-90) of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay and related papers.

IV. Report and Accounts (1989-90) of the Madras Refineries Limited, Madras and related papers.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रो की एक एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हू :

(1) (क) 1989-90 के वर्ष के लिए भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मुबई, का सैंतीसवा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए स एल टी. 1913/91]

(ii) (क) 1989-90 के वर्ष के लिए इडियन आंयल कारपोरेशन लिमिटेड मुबई, का इकत्तीसवा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखा-परीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए सं.एल.टी 1914/91]

(iii) (क) 1989-80 के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए सं.एल.टी. 1915/91]

(iv) (क) 1989-90 के वर्ष के लिए मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड मद्रास का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षको के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए सं० एल.टी. 1912/91]

Notifications of the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum and Natural Gas)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र भी सभा पटल पर रखता हूं –

I. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण मे अनाचार निवारण) आदेश 1990 को प्रकाशित करने वाली पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) की अधिसूचना सा.का नि स 811 (अ) दिनांक 25 सितम्बर, 1990 की एक एक प्रति (अग्रेजी तथा हिन्दी मे) । [पुस्तकालय मे रखी गई । देखिए सं एल टी 1916 /91]

II. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974, की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अग्रेजी तथा हिन्दी मे) :–

(i) तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. स. 762 (अ) दिनाक 7 सितम्बर, 1990 ।

(ii) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा का नि. सं. 917 (अ) दिनांक 16 नवम्बर, 1990 [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिए देखिए सं. एल.टी. 1911/91]

Report and Accounts (1989-90) of the Hindustan Latex Limited, Trivandrum and related papers

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHA-